भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3221

दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा धारित अधिशेष भूमि

3221. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा धारित अधिशेष भूमि का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का निजी कंपनियों की सहायता से इस अधिशेष भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। अधिशेष भूमि, यदि कोई हो, की पहचान और उसका विवरण तथा उस भूमि के विस्तार, विविधीकरण अथवा निपटान की संभावित आवश्यकता के संबंध में निर्णय सीपीएसई के निदेशक मण्डलों द्वारा किया जाता है। मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सीपीएसई अधिशेष भूमि सहित उनके द्वारा धारित भूमि के आंकड़ों का अनुरक्षण एवं उसे अद्यतन करें तथा ऐसी भूमि के इष्टतम उपयोग के संबंध में कार्यनीतियां तैयार करें।

*****